

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2017-18/ 788

दिनांक : 3/11/17

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
एवं जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/
बीकानेर/बून्दी/चित्तौड़गढ़/रतनगढ़/धौलपुर/
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर-प्रथम/जैसलमेर/
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ़/बारां/
राजसमन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ़ (राज0)।

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु दिनांक 10.11.2017 को काउंसलिंग किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु दिनांक 10.11.2017 को काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में लेख है कि उक्त काउंसलिंग के लिए गठित कमेटी में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष/सदस्य है। किसी कारणवश कोई सदस्य के अनुपस्थित होने की स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से सदस्य नामांकित कर निर्धारित तिथि 10.11.2017 को काउंसलिंग का कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग का कार्य किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जायें। यदि काउंसलिंग स्थगित होती है तो यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक :

क्रमांक: प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2017-18/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
7. समस्त प्रभारी, एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कार्यालय को ई-मेल करने का श्रम करे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2017-18/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
एवं जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी,
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/
बीकानेर/बून्दी/चित्तौडगढ/रतनगढ/धौलपुर/
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर-प्रथम/जैसलमेर/
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ/बारां/
राजसमन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ (राज0)।

विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु दिनांक
10.11.2017 को काउंसलिंग किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु दिनांक 10.11.2017 को काउंसलिंग की तिथि निर्धारित की गई है। इस संबंध में लेख है कि उक्त काउंसलिंग के लिए गठित कमेटी में संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष/सदस्य है। किसी कारणवश कोई सदस्य के अनुपस्थित होने की स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर से सदस्य नामांकित कर निर्धारित तिथि 10.11.2017 को काउंसलिंग का कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। काउंसलिंग का कार्य किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जायें। यदि काउंसलिंग स्थगित होती है तो यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

(राकेश शर्मा)
अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक : 9/11/17

क्रमांक: प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2017-18/786

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
7. समस्त प्रभारी, एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित कार्यालय को ई-मेल करने का श्रम करे।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर